जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़, प्रस्तावित खनन परियोजना(सेण्ड़ स्टोन एवं मेसनरी स्टोन), के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना एम.एल.संख्या 07/2023, क्षेत्रफल 1.0459 हैक्टेयर, (क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 51.9127 हेक्टेयर), उत्पादन क्षमता 124342 टी.पी.ए. (रोम), निकट ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा एवं जिला–बून्दी (राजस्थान), में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र डाबी, तहसील–तालेड़ा, जिला–बून्दी (राजस्थान) में आयोजित जनसुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकंलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 12.11.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र कमांक RPCB/ROBundi/PUB-120/1495-1501 दिनांक 14.11.2024 के अनुपालना में मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़, प्रस्तावित खनन परियोजना(सेण्ड़ स्टोन एवं मेसनरी स्टोन), के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना एम.एल.संख्या 07/2023, क्षेत्रफल 1.0459 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 124342 टी.पी.ए.(रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 51.9127 हेक्टेयर, निकट ग्राम–डाबी, तहसील–तालेड़ा जिला–बून्दी (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 26.12.2024 को आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर सलंग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र **दैनिक भास्कर में दिनांक 17 नवम्बर 2024** एवं **दैनिक राजमार्ग** में दिनांक 18 नवम्बर, **2024** को प्रकाशित करवाई गई जो की परिशिष्ट संख्या 02 पर सलंग्न हैं।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आगंतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी ने जनसुनवाई के प्रावधान, उद्वेश्य एवं महत्व तथ प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों /व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार सलाहकार कॉग्निजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड की तकनीकी सलाहकार श्रीमती कायनात आज़म के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बून्दी (राजस्थान)

परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्ड़ार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और नवीनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्‌टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्मोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ती सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ती के बारे में पूछा तथा बताया कि अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

अतं में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपत्ती नहीं होना बताया।

जनसुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात् उक्त परियोजना से सम्बन्धित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/ प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतं में श्री लक्ष्मीकान्त, उपखण्ड़ अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

जनसुनवाई की विडियों रिकॉर्डिंग (सी.डी.) संलग्न है।

लक्ष्मीकान्त
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा, जिला बून्दी (राज.)

सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., बून्दी (राज.)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़, एम.एल. संख्या 07/2023, क्षेत्रफल – 1.0459 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 124342 टी.पी.ए., निकट ग्राम – डाबी, तहसील – तालेड़ा, जिला – बून्दी की प्रस्तावित सेण्ड़ स्टोन एवं मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल – 51.9127 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– राजीव गाँधी सेवा केन्द्र डाबी, तहसील – तालेड़ा, जिला – बून्दी

दिनांक :– 26.12.2024

समय :– प्रातः – 11:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	LAKMI KANI (RAS) SDM TALERA	[illegible]
2.	Savita, RO, RSPCB, Bundi	Savita
3.	Rohitash Balai, AEE, RSPCB, Bundi	Rohi
4.		[illegible]
5.	[illegible] नागरी लाम्बाखोह	
6.	फूलचन्द राठौर लाम्बाखोह (डाबी)	Phoolchand
7.	[illegible] राठौर डाबी	[illegible]
8.	पारसमल [illegible] – डाबी	पारसमल
9.	[illegible] राठौर S/o [illegible] राठौर लाम्बाखोह	[illegible]
10.	[illegible] डाबी	[illegible]
11.	मुकेश राठौर S/o [illegible] राठौर	Mukesh
12.	निर्मल S/o [illegible] बनजारा	[illegible]
13.	[illegible] S/o शिवकरण राठौर	[illegible]
14.	कन्हैयालाल S/o रामचरणजी	कन्हैयालाल

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
15.	कन्हैया लाल S/o प्रकाश चन्द्र लाडे (डबी)	Khu[illegible]
16.	चौथमल जांगिड़ S/o रामपाल	चौथमल जांगिड़
17.	अशोक कुमार [illegible] जोगियान [illegible]	अशोक
18.	हरिप्रकाश मीणा जालिपा	हरिप्रकाश
19.	दिपक राव उम्मेदी का खेड़ा	दिपक
20.	गोलू मेघवाल सूतड़ा	गोलू
21.	~~राजेश कुमार धाकड़ उम्मेदी का खेड़ा~~	[illegible]
22.	राजेश कुमार धाकड़ गोवर्धन निवास	राजेश
23.	कैलाश धाकड़ श्रीनगर	Kailash
24.	रणवीर [illegible] डबी	[illegible]
25.	विनोद रावत डाबी	विनोद
26.	शंकरलाल सूतड़ा	शंकरलाल
27.	मनोज सिंह सुरजपुरा	मनोज सिंह
28.	[illegible] सिंह [illegible]	[illegible]
29.	कैलाश चन्द धाकड़ उम्मेदी का खेड़ा	कैलाश चन्द
30.	गोपाललाल S/o धन्नाराम भील [illegible]	गोपाललाल
31.	प्रकाश चन्द S/o देवीलाल राठौर	प्रकाश चन्द
32.	लक्ष्मण S/o भागीरथ बंजारा	लक्ष्मण
33.	राजाराम गुर्जर S/o कालू गुर्जर	राजाराम
34.	Dal Chand Dangi Udaipur	D[illegible]

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
35.	Kaynat Azam, CRIPL Udaipur	[signature]
36.	Raghuveer Meena	[signature]
37.	कैलाशचन्द्र राठौर डावी	कैलाशचन्द्र राठौर
38.	जितेन्द्र मेहता Kota	[signature]
39.	कमलेश गुर्जर डावी	Kamal
40.	आशिष गुर्जर नरोली	Ashish
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		

महिला मंडल ...कूट महोत्सव

दाधीच समाज महिला मंडल अध्यक्ष स्वाति दाधीच ने बताया कि सर्वप्रथम गणेश वंदना करके भजन गए। समाज की महिलाओं ने भजनों की दोनों पर नृत्य किया। नवल सागर झील पर दीपदान किया गया। अनुकूट का भोग गणेश जी लगायां गया।

इस अवसर पर सभा अध्यक्ष डॉ सुलोचना दोराश्री ने सबका धन्यवाद दिया। इस दौरान समाज की महिला एवं बच्चे उपस्थित रहे।

रेल मदद पोर्टल पर यात्री शिकायतों का तत्परता से निपटारा

राजमार्ग संवाददाता

कोटा, 18 नवंबर। मंडल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के साथ ही उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए तत्पर है। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु, मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक आर. आर. के. सिंह के मार्गदर्शन में "रेल मदद" पोर्टल/एप पर 24 घंटे रेल यात्रियों की सहायता और शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

रेलवे ने शिकायत और सुझावों को समायोजित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 सहित सभी माध्यमों को "रेल मदद" पोर्टल और एप में एकीकृत कर दिया है। शिकायतों का निस्तारण समय तय सीमा के भीतर किया जाता है एवं निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता को सूचना दी जाती है और उनसे फीडबैक भी मांगा जाता है, जिससे रेल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

कोटा मंडल में 16 जून, 2024 से वॉर रूम की शुरुआत की गई है,

जिसका उद्देश्य यात्री शिकायतों का शीघ्र एवं समुचित समाधान सुनिश्चित करना है। 16 जून 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक इस वॉर रूम के माध्यम से कुल 10278 शिकायतों का निपटारा किया गया, जिसमें यात्रियों द्वारा 88 प्रतिशत उत्कृष्ट फीडबैक प्राप्त हुए जो पश्चिम मध्य रेल्वे पेन में सर्वोत्तम रहा है।

वर्तमान में कोटा मंडल में यात्री शिकायतों के समाधान का औसत समय 32 मिनट है, जो कि पश्चिम मध्य रेलवे के सभी मंडलों में सर्वोत्तम है।

वॉर रूम में विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्य, विद्युत, केरिज एवं वेगन, सिग्नल एवं टेलीकॉम, इंजिनीयरिंग, रेल सुरक्षा बल एवं मेडिकल विभाग इत्यादि इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, 24 घंटे यात्री सेवा में कार्यरत हैं।

रनिंग रॉक्स ग्रुप ने किया 120 मीटर दौड़ का आयोजन

राजमार्ग संवाददाता

कोटा, 18 नवंबर। रनिंग रॉक्स ग्रुप कोटा द्वारा श्रीनाथ पुरम स्टेडियम में 120 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। जिसे ऊर्जा मंत्री हीरालाल ... देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इंटरनेशनल कोच रमेश गोचर (राजा साहब) भी मौजूद थे। मंत्री नागर ने सभी खिलाड़ियों से संवाद करते हुए खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा ...

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

Date: 14.11.2024

No. RPCB/RO Bundi/PUB-120/1495

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़, एम.एल. संख्या 07/2023 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग माईनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल कलस्टर (06/2019, 04/2018, 02/2021, 07/2012, 05/2020, 03/2022, 03/2021, 01/2022, 02/2012, 01/2023, 01/2014, 10/2023, 44/2008, 153/2008, 221/1998, 307/1998, 25/2007, 08/2023 एवं 05/2022) क्षेत्र- 51.9127 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माईनिंग परियोजना है जिसका (एम.एल. संख्या 07/2023), खनन क्षेत्र 1.0459 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 124342 TPA, जो कि एम.एल. संख्या 07/2023, निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स कैलाश चन्द धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवष्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है -

i. जिला कलक्टर, बून्दी।
ii. CEO जिला परिषद, बून्दी।
iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी।
vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी।
vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी।
viii. ग्राम पंचायत, डाबी।
ix. राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी।
x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240. द्वितीय तल. उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अत: सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरुप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं., बून्दी

Regional Office

न विधान की पूर्णाहुति और मुनि संघ पिच्छिका परिवर्तन आज

त्र होना ही उत्तम संयम धर्म

जीवन में संयम जरूरी : श्रुतेशसागरजी

शहर के शांतिवीर धर्म स्थल पर मुनि श्रुतेशसागरजी महाराज ने कहा कि संयम खलु जीवनम् कहकर शास्त्रों में आचार्यों ने संयम को ही जीवन की संज्ञा दी है। प्रत्येक स्थान पर नियंत्रण बहुत जरूरी होता है, बिना नियंत्रण के कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। संयम जीवन का नियंत्रण है। संयम के अभाव में धर्म शुरू भी नहीं हो पाता है। संयम दो प्रकार का होता है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। साधु पूर्ण संयम का पालन करते हैं और गृहस्थ अपनी भूमिका और शक्ति के अनुसार संयम पालते हैं। सम्यग्दर्शनपूर्वक जो संयम होता है उसे ही उत्तम संयम कहा गया है। यह मुनिजनों को ही होता है। जीवन और समाज का अनुशासन संयम से संचालित होता है।

मुनिसंघ का विहार आज दोपहर 2:30 बजे

वर्षा योग समिति के अध्यक्ष विनोद मारवाड़ा व प्रचार मंत्री महावीर सरावगी ने बताया कि शहर के शांतिवीर धर्मस्थल में मुनि श्रुतेशसागर महाराज, तपस्वी मुनि संविज्ञसागर महाराज, क्षुल्लक सुप्रकाशसागर महाराज के ससंघ सानिध्य में कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा है, जिसकी रविवार पूर्णाहुति होगी। सुबह 9 बजे पूर्णाहुति, 11 बजे मुनि संघ का पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम

- **मकर :** मकर राशि के जातकों को कॅरियर में उन्नति, व्यापार में सफलता और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। किसी भी दीर्घकालिक योजना को पूरा करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है।
- **कुंभ :** कुंभ राशि के लिए समय अच्छा रहेगा। शनि का मार्गी होना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और सफलता के रास्ते खोलेगा।

ट्रेन के विशेष एलएचबी रेक में ऑन-बोर्ड और ऑफ-बोर्ड भोजन, दर्शनीय स्थल तक बस से सड़क परिवहन, आवास व्यवस्था, एस्कॉर्ट्स, बीमा शामिल है। पर्यटक आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन व अधिकृत एजेंट से भी बुकिंग करा सकते हैं।

आवश्यकता है

डोर टू डोर

फील्ड मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव

देश के सबसे बड़े समाचार पत्र के साथ जुड़ कर अपने करियर को दें

एक नया आयाम

अपनी बात बेहतर दैनिक भास्कर

आयु सीमा - 18 से 30 वर्ष

योग्यता - (10+2)

स्मार्ट फोन अनिवार्य

आकर्षक वेतन

कार्य अवधि

सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक

इंटरव्यू के लिए :

अपने संपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कापी और बायोडाटा के साथ

दिनांक: 15,16,17, नवम्बर

प्रातः 12 से सायं 5 बजे तक संपर्क करें

सफलतापूर्वक कार्य करने पर सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।

दैनिक भास्कर कार्यालय

कोतवाली थाने के सामने, कोटा रोड, बूंदी

9672983112

9001177458

मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-127/1489 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़ खसरा नम्बर 242 एवं 243/335 निकट ग्राम पताना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग, माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल क्लस्टर क्षेत्र 51.9127 हेक्टेयर, आवेदक मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (क्वा.लाइ. संख्या 03/2021), खनन क्षेत्र 2.3030 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 286539 TPA (ROM), जो कि खसरा नम्बर 242 एवं 243/335 निकट ग्राम पताना, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है, से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स मुकेश कुमार धाकड़, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यकारक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है- i. जिला कलक्टर, बून्दी। ii. CEO जिला परिषद, बून्दी। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। v. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी। vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी। viii. ग्राम पंचायत, कुवापुरा। ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम कुवापुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी। x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प. (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 193 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 27.12.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम कुवापुरा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी

19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Plot No. D-15. Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi E-mail: rorpcb.bundi@gmail.com

No. RPCB/RO Bundi/PUB-120/1495 Date: 14.11.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय :- मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़, क्वा.लाइ. संख्या 07/2023 निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग, माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट कुल क्लस्टर (06/2019, 04/2018, 02/2021, 07/2012, 05/2020, 03/2022, 03/2021, 01/2022, 02/2012, 01/2023, 01/2014, 10/2023, 44/2008, 153/2008, 221/1998, 307/1998, 25/2007, 08/2023 एवं 05/2022) क्षेत्र- 51.9127 हेक्टेयर आवेदक मैसर्स श्री कैलाश चन्द धाकड़ द्वारा प्रस्तावित सेण्डस्टोन एवं मेसनरी स्टोन माइनिंग परियोजना है जिसका (क्वा.लाइ. संख्या 07/2023), खनन क्षेत्र 1.0459 हेक्टेयर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 124342 TPA, जो कि क्वा.लाइ. संख्या 07/2023, निकट ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में स्थित है से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स कैलाश चन्द धाकड़ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जनसुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षिप्त कार्यकारक सार अभिलेख निम्न कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है

i. जिला कलक्टर बून्दी। ii. CEO जिला परिषद, बून्दी। iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बून्दी। vi. उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा, जिला बून्दी। vii. क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, बून्दी। viii. ग्राम पंचायत, डाबी। ix. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी। x. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240, द्वितीय तल, उ.प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी, जिला बून्दी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी के पत्र क्रमांक 195 दिनांक 12.11.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित जन सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2024 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बून्दी जिला बून्दी में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.मं. बून्दी